

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर (म0प्र0)

:: विज्ञप्ति ::

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय अनूपपुर के प्रतिलिपि अनुभाग, जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील न्यायालय कोतमा/राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर में प्राइवेट फोटोकॉपियर मशीन स्थापित किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संरक्षा या व्यक्ति इस स्थापना पर फोटोकॉपियर मशीन स्थापित किए जाने हेतु इच्छुक हो, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर में कार्य दिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदाओं की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार निविदा दिनांक 13.03.2025 को शाम 05:00 बजे तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, नियत समय अवधि उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के मेमो क्र0-443 दिनांक 14.08.2013 के द्वारा निर्धारित निविदा की नियमों एवं शर्तों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार अधिकारिक पोर्टल पर देखा जा सकता है:-

1. जिला न्यायालय अनूपपुर की अधिकारिक वेबसाईट:-
<https://anuppur.dcourts.gov.in/#tenders> एवं
2. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के अधिकारिक वेबसाईट :-
www.mphc.gov.in पर tenders टैब अंतर्गत।

उक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक 13.03.2025 को शाम 05:00 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित में खोला जावेगा।

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर(म0प्र0)

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर (म0प्र0)

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के मेमो क्रमांक Reg(IT)(SA)/2024 /938 जबलपुर दिनांक 02.07.2024 के निर्देशानुसार जिला स्थापना अनूपपुर में प्रतिलिपि कार्य के लिए नियम एवं शर्तेः—

- 1.** एक बंद लिफाफे से सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई 10000/- रुपये (दस हजार रुपये) की बैंक गारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में हो एवं 06 माह की अवधि के लिए वैद्य हो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर में आवश्यक रूप से दिनांक 13.03.2025 समय शाम 05:00 बजे तक जमा हो जानी चाहिए, अपूर्ण/शर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/लगत के समावेश की निविदाएँ निरस्त की जावेगी।
- 2.** निविदाएँ दिनांक 13.03.2025 समय शाम 05:30 बजे निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों के उपरिथित में खोली जाए, उद्भूत दरों, नियमों में कोई ओवरराइटिंग, परिवर्तन, संशोधित नहीं होना चाहिए, सभी संलग्न अनुलग्न—एक में मोहर के साथ विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए।
- 3.** जिसकी निविदा चुनी जायेगी उसे संखीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस में परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में पॉच प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक गारंटी एफ.डी.आर./अकाउंट पे, डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के पक्ष में देनी होगी। परफॉर्मेंस सुविधा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिए वैद्य होगी, जिसमें वारंट/त्रुटि उत्तरदायित्व यदि हो भी शामिल होंगे।
- 4.** संस्था द्वारा प्रति कॉपी की दर के हिसाब से समस्त करों एवं शासकीय देयकों को सम्मिलित कर प्रदाय की जावेगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिए पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जानी चाहिए।
- 5.** फोटोकॉपी मशीन जिला न्यायालय परिसर अनूपपुर एवं तहसील न्यायालय कोतमा/राजेन्द्रग्राम में निर्देशानुसार स्थापित करनी होगी। कार्यालय समय में फोटोकॉपी मशीन की उपलब्धता को ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।
- 6.** दर का अनुबंध, दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिए वैद्य होगा। सेवा में संतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तों पर प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

7. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं नियमानुसार कर काटार जायेगा। सिर्फ संवैधानिक देयकों जो कि शासन द्वारा अधिसूचना/नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर अनुबंध की अवधि में दर की संरचना में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अतः संस्था जो कि निर्धारित राशि एक वर्ष के लिए प्रभावी रख सकें वही आवेदन करें।

8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के निर्देशानुसार मशीनों की संख्या कार्य अनुसार जरूरत के हिसाब से कम अथवा ज्यादा की जा सकती है, परंतु ठेकेदार को बिना रुकावट के कार्य को संपन्न करना होगा। अतिरिक्त व्यक्ति की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे की कार्यालय के कार्य रुकावट न हो।

9. परिवहन शुल्क एवं अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।

10. ठेकेदार फोटोकॉपी मशीन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, स्टेशनरी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले कागज (75 जी.एस.एम.) टोनर, स्टेप्लर पिन और अन्य लगत ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी। फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त व्यक्ति को रखने की तथा उन पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व ठेकेदार को होगा।

11. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटोकॉपी कार्य कार्यालय में आसानी से हो सके और कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न हो अगर कार्य में रुकावट होगी तो 500/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी, इसके अतिरिक्त फोटोकॉपी के कार्य में बाजार से ज्यादा मूल्य आने पर वह राशि लंबित बिलों / संस्था की परफॉरमेंस सुरक्षा निधि से काटी जावेगी।

12. आदेशित कार्य को पूरा करने के लिए जिस फोटोकॉपी मशीन की स्थापना की जानी है वह एक वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ठेकेदार को उक्त मशीन के मॉडल/वर्ष के सत्यापन हेतु क्य की गयी मशीन का बिल प्रस्तुत करना होगा।

13. संस्था द्वारा लगायी जाने वाली फोटोकॉपी मशीन के बनावट और मॉडल की जानकारी सर्विस टेक्स प्रमाण टिन नंबर और केन्द्रशासित मंत्रियों/अन्य सरकारी कार्यालयों / अंडरटेकिंग या अन्य प्रतिष्ठित संस्था जिनको की ठेकेदार द्वारा फोटोकॉपी की आउटसोर्सिंग प्रदान की गयी हो के प्रमाण के दस्तावेज तथा संतुष्टि पूर्ण कार्य की रिपोर्ट, पूर्ण विवरण जैसे पता, ऐसे व्यक्ति का नाम संपर्क किया जा सके, इस निविदा के साथ उक्त दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए।

14. यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि न्यायालय के दस्तावेज किसी अनाधिकृत व्यक्ति तक न पहुच पाये, इस शर्त के उल्लंघन पर कठोर परिणाम भुगतान होगे और अनुबंध बिना किसी सूचना के ई.एम.डी./निष्पादन पूतिभूति और लंबित बिलों को छोड़कर समाप्त किया जा सकेगा।

15. अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। ठेकेदार के कोई भी भ्रष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिभूति को जप्त किया जा सकेगा और उसे ब्लेक लिस्ट किया जाकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना उपपट्टे के अमान्य किया जावेगा।

17. अनुबंध के निष्पादन के दौरान यदि किसी की मृत्यु या दुर्घटना अथवा भौतिक संपत्ति की हानि होती है तो दी गयी छूट के अतिरिक्त समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

18. जिला न्यायालय केवल विद्युत एवं खाली जगह की सुविधा ठेकेदार को बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा अन्य कोई सुविधा नहीं करेगी।

19. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपपुर या ठेकेदार एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंधों को समाप्त कर सकते हैं यदि कोई भी पक्ष अनुबंध की शर्त की उल्लंघन करता है।

20. ठेकेदार या उसके स्टॉफ के किसी सदस्य के द्वारा जानबूझकर या अन्यथा कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

21. यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो वे 24 घंटे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस दे सकते हैं और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वे उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने के साथ उचित कदम उठा सकते हैं।

22. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार द्वारा की गई फोटोकॉपी का ही मूल्य अदा करेंगे। यदि अनुबंध किसी शर्तों का उल्लंघन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अनुबंध में वर्णित अन्य उपचार को सुरक्षित रखते हुए 500/- रुपये प्रति घटना/प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबंध राशि अधिकतम दस प्रतिशत राशि काटी जा सकेगी तथा उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इंकार भी किया जा सकेगा यदि पृष्ठ या प्रिंटिंग इत्यादि संतोषजनक न हो।

23. अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार की जिम्मेदारी है और स्थल पर कार्य की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी।

24. अनुबंध के दौरान केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा भविष्य में अधिसूचना द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समस्त नियम अधिनियमों को अनुबंधकर्ता पूर्ण समय पालन करेगा यदि ठेकेदार के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कार्य से किसी नियम या अधिसूचना द्वारा संसोधित अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वह नियुक्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को क्षतिपूर्ति देगा।

25. अनुबंध के दौरान ठेकेदार के किसी कार्य या लापरवाही से जिला न्यायालय की किसी संपत्ति की क्षति होती है या चोरी होती है तो ठेकेदार को उसे अपने स्वयं से पूर्ति करना होगा।

26. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्णतः बिना कोई कारण बतायें निरस्त कर सकेंगे।

27. यदि दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न किया जावेगा, परन्तु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एकमात्र मध्यस्थ जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर होगे के समक्ष रखा जायेगा और उनके द्वारा लिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जावेगी।

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

अनूपपुर (म0प्र0)

ANNEXURE-I

LIMITED TENDER PERFORMA FOR OUTSOURUCE PHOTOCOPY WORK

1. Rate Quotation of the Tenderer (INCUSIVE OF ALL TAXES):

SL.NO.	PARTICULARS	Rate per copy with Paper (A-4 size J.K/orient/bilt matrix Bond Paper, 75 gsm)	Rate per copy with legal size of J.K/orient/bilt matrix Bond Paper, 75 gsm Paper)
01	Single side photocopy on one sheet		
02	Photocopy on back to back side on one sheet		

2. Machine Model No. and Make _____

3. Earnest money details : _____ date _____ for _____

Rs.10,000/- Name of Bank _____

4. PAN No. _____

5. TIN No. _____

The terms and conditions of the tender are acceptable to
me/us.

Signature _____

Name & address with seal & Date _____

Phone (O) _____

(M) _____

(R) _____

Q6
12/8/2011

